

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2016/ज्येष्ठ 24, 1938

No. 2531

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 2016/JYAISTHA 24, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2016

फा. सं. मानक/ओ एंड एफ/अधिसूचना(2)/एफ़एसएसएआई-2016.— खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नालिखित प्रारूप, जिन्हें खाद्य प्राधिकरण केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) धारा 92 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध कराई जाती है, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा प्राधिकरण के ईमेल पते regulation@fssai.gov.in पर भेजे जा सकेंगे।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त होते हैं तो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2016 है।

(1)

3005 GI/2016

- (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्तर होंगे।
- 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 में अंग्रेजी संस्करण में, विनियम 2.3 के उप-विनियम 2.3.14 के खण्ड (11) में, "जिनका भार 15 लीटर से अधिक न हो", शब्दों के स्थान पर "जिनका भार 15 कि.ग्रा. से अधिक न हो" शब्द रखे जाएंगे।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III / 4 / असा. / 135(187)]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात उनमें अधिसूचना संख्यांक एफ. सं 4/15015/30/2011, तारीख 8 फरवरी, 2013 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2016

F. No. Stds/O&F/Notification(2)/FSSAI-2016.— The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulations, 2011, which the Food Authority proposes to make with the previous approval of the Central Government in exercise of the powers conferred under section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the subsection (1) of section 92 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Objections or suggestions, if any may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in.

Objections and suggestions which may be received with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified, will be considered by the Food Authority.

Draft Regulations

- 1. **Short title and Commencement.—** (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Amendment Regulations, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, in English version, in regulation 2.3, in sub-regulation 2.3.14, in clause (11), for the figures and word "15 litres", the figures and word "15 kilograms" shall be substituted.

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer [ADVT. III/4/Exty./135(187)]

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification number F. No. 4/15015/30/2011 dated the 8^{th} February, 2013.